उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य योजना आयोग–2
संख्या 9/7/35–आ–2/99–55
लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999) की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली 2008 में, अनुसूची में, –

(क) नीचे दिये गये स्तम्भ–एक में दी गई कमांक–50 की प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ–दो में दी गई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :–

स्तम्भ–एक *विद्यमान प्रविष्टियॉ*							स्तम्भ–दो *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियॉ*						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
50	कानपुर देहात	20	3	2	5	25	50	रमाबाई नगर	20	3	2	5	25

(ख) कमांक–71 की प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

1	2	3	4	5	6	7
72	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	28	3	4	7	35

आज्ञा से,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव।